अभिभाषण - **श्री नित्यानन्द स्वामी,** *मुख्यमंत्री उत्तरांचल*
49वी राष्ट्रीय विकास परिषद् बैठक, 1 सितम्बर, 2001 नई दिल्ली

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मा0 उपाध्यक्ष केन्द्रीय योजना आयोग, मा0 मंत्रीगण केन्द्र सरकार, साथी मा0 मुख्यमंत्री गण तथा उपस्थित महानुभावों,

हिमालय की गोद में बसे देवभूमि उत्तरांचल सतत् संघर्ष, जन आकांक्षाओं एवं समग्र विकास की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में एक नये राज्य के स्वरूप में आया है । उत्तरांचल के जनमानस के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है । इस बैठक की विषयवस्तु में उत्तरांचल के लिये अति महत्वपूर्ण विषय विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने से संबंधित है । हम बहुत समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और मुझे विश्वास एवं बहुत खुशी है कि यह इंतजार आज खत्म हो जायेगा । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आज का सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का मसौदा है । इसमें 8 प्रतिशत संवृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हुये महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, गुणवत्ता और उत्पादकता युक्त रोजगार, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के समुचित विकास एवं उत्थान पर बल दिया गया है, जिससे हम पूर्णतयः सहमत हैं । इसके अतिरिक्त पूरे विश्व को खुले बाजार के रूप में देखते हुए विकास की क्षमता के सृजन, पर्यावरणीय संतुलन तथा शहरी क्षेत्रों की बढ़ती समस्याओं से उत्पन्न चुनौतियां, जिनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, निश्चित रूप से सभी राज्यों एवं राष्ट्र के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी । किन्तु सबसे चुनौतीपूर्ण एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य जो रखा गया है वो योजना के प्रारम्भ से ही 8 प्रतिशत संवृद्धि दर सुनिश्चित करने का है । इसके लिये राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के मध्य पूर्ण समन्वय रखते हुये हर स्तर पर विशेष प्रयास किये जाने होंगे ।

नियोजन प्रक्रिया में “कोर” योजना की जो परिकल्पना प्रस्तावित है, उससे हम सिद्धान्त रूप में सहमत हैं, क्योंकि पूर्व में यह अनुभव रहा है कि प्रारम्भ में अनुमोदित योजनाओं एवं अंततोगत्वा क्रियान्वित को सकने वाली योजनाओं में अक्सर काफी अन्तर (Gap) रहता है, जिससे सुनियोजित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । हमने इस वर्ष अपनी जिला योजना की संरचना में इस प्रकार की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास भी किया है । परन्तु फिर भी, वार्षिक योजनाओं के गठन में इस परिकल्पना को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों के साथ गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता प्रतीत होती है । साथ ही, ऐसा करते समय, विशेषकर नये राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना भी आवश्यक होगा ।

इसी प्रकार हम केन्द्र पोषित योजनाओं के युक्तिकरण की आवश्यकता तथा इस प्रस्ताव से भी सहमत हैं कि विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप परियोजनाएं बनाने की छूट दी जाए । इससे राज्यों की विशेष परिस्थितियों एवं अनुभवों का समावेश उत्पादक रूप से हो सकेगा । किन्तु फिर भी जो धनराशियां केन्द्रीय परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं उनमें समग्र रूप से कमी नहीं आनी चाहिए, और धनराशि का प्रवाह (Flow) इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्ष

के अन्तर्गत उसका उपयोग सुनिश्चित हो सके तथा निश्चित अन्तराल पर (Concurrent) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी किया जा सके ।

पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं को सही स्वरूप देने के लिये महत्वपूर्ण आंकड़ों (Vital statistics) के सुनियोजित संकलन एवं विश्लेषण की क्षमता को भी और सुदृढ़ किया जाना अत्यंत आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, जैसे जैसे हम परियोजना प्रारूप (mode) की ओर बढ़ रहे हैं, यह भी आवश्यक हो गया है कि राज्यों के स्तर पर परियोजनाओं की संरचना की क्षमता बढ़ायी जाए । सूचना प्रौद्योगिकी के युग में आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के लिए राज्यों को और सशक्त बनाने का दायित्व केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना उचित होगा । पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा जिला स्तर पर स्थापित किये गये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों को उच्चीकृत एवं आधुनिकीकृत किये जाने की आवश्यकता है, और इस हेतु उच्च शक्ति की वी-सैट (V-SAT) क्षमता स्थापित करने तथा अन्य उपकरणों को उच्चीकृत (Update) करने की भी आवश्यकता है ।

दृष्टीकोण पत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद के लिए जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के संदर्भ में जो लक्ष्य चिन्हित किये गये हैं उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं । यहां मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि उत्तरांचल राज्य ने पिछले दशक में जनसंख्या तथा साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त किये हैं, फिर भी कतिपय क्षेत्र ऐसे हैं जहां राज्य की परिस्थितियों विशेष के संदर्भ में हमें केन्द्र सरकार की ओर से विशेष ध्यान एवं सहायता की अपेक्षा होगी जैंसे- दूरस्थ ग्रामों एवं तोकों में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था । कुछ अन्य विषयों, यथा वन एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि अलग-अलग राज्यों में इसके आयाम अलग-अलग होंगे । उदाहरणार्थ - जहां मसौदे में 2012 तक 33 प्रतिशत वनाच्छादन का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है, उत्तरांचल में वन क्षेत्र 60 प्रतिशत से अधिक है । इसके चलते एक ओर हमारी प्राकृतिक संसाधनों को वित्तीय संसाधनों के रूप में परिणित (Convert) करने की क्षमता सीमित होती है वहीं, दूसरी ओर हम देश के अन्य राज्यों के लिए पर्यावरणीय संतुलन एवं सम्पदा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं । इस बिन्दु का केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में समुचित संज्ञान लिया जाना भी आवश्यक होगा ।

कृषि एवं भू-प्रबंधन के क्षेत्र में मसौदे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं और इन दिशाओं में गहन विचार एवं योजनाबद्ध ढ़ंग से कार्यवाही आवश्यक होगी । उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में, यह कई माइनों में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है । इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः आर्थिक कारणों से, पुरुषों के बाहर जाने (Out migration) की विशेष समस्या रही है, और घरेलू कार्यों के साथ साथ महिलाओं का कृषि कार्यों में भी प्रमुख योगदान रहा है । अतः कृषि में महिला योगदान की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने हेतु हर संभव प्रयास आवश्यक होंगे । इस बिन्दु, तथा सामान्यतया छितरी हुई, छोटी-छोटी जोतों की स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा आधुनिक तकनीकी पर आधारित कृषि विविधिकरण और इसमें स्व-सहायता समूहों (Self-Help Groups) की व्यापक स्तर पर सहभागिता की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । इस परिप्रेक्ष्य में, मसौदे में इंगित की गयी विभिन्न भू-प्रबन्धन व्यवस्थाओं यथा, अनुबंध कृषि-कर्म (Contract farming), समूहों द्वारा लीज के आधार पर कृषि, आदि की ओर भी नीतिगत स्तर पर ध्यान

अपेक्षित होगा । दूसरी ओर हमारे ही राज्य में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि की ओर विशेष रूझान रहा है और जहां अच्छी उत्पादकता एवं गुणवत्ता के साथ फसलें पैदा की जा रहीं हैं । ऐसे क्षेत्रों में राज्य के अंतर्गत पर्याप्त खपत न होने के कारण आधिक्य की समस्या हमारे और किसानों के सामने आ रही है । इन क्षेत्रों में विपणन एवं प्रसंस्करण की सुविधा एवं क्षमता उपलब्ध कराया जाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा ।

इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल राज्य के स्थापना के तुरन्त बाद से ही यह भी अनुभव रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये क्रय किया गया गेहूं एवं चावल उठ नहीं रहा है, जिसके कारण एक तरफ राज्य के सीमित संसाधन “ब्लाक” (block) हो जाते हैं, वहीं इस प्रकार के खाद्यान्नों को लम्बे समय तक रखने पर उनकी गुणवत्ता में भी गिरावट आती है । इस राज्य में विद्यमान इन विशेष परिस्थितियों का मैं उल्लेख इसलिए भी कर रहा हूं कि आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थितियों एवं समस्याओं को देखते हुए केन्द्र द्वारा विशेष योजनाएं बनाये जाने पर विचार करना चाहिए ।

दृष्टकोण पत्र में इंगित एक अति महत्वपूर्ण बिन्दु आयोजनागत व्यय से सृजित की गयी पूंजीगत परिसम्पत्तियों (Capital Assets) के रख-रखाव एवं मरम्मत संबंधी व्यवस्था को योजना का भाग बनाये जाने से संबंधित है । यह एक क्रान्तिकारी कदम होगा । इसके संबंध में संयुक्त टीमों द्वारा निरीक्षण आदि के बाद सुझाव दिये जाने की व्यवस्था के स्थान पर यह अधिक उचित होगा कि कुछ समान मार्ग-निर्देशक सिद्धांत निर्धारित कर लिये जाएं । इस हेतु तुरन्त एक कार्यकारी समूह गठित करने पर विचार किया जा सकता है ।

इसी संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु तथाकथित अनुत्पादक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के विषय से संबंधित हैं, जिनका सीधा संबंध शासन एवं प्रशासन की कार्य क्षमता में वृद्धि से है । कहने का आशय है कि आज जब हम शासन एवं प्रशासन के कार्यों से संबंधित अनावासीय एवं आवासीय भवनों, व तत्संबंधी सुविधाओं, की बात कहते हैं तो इसे अनुत्पादक व्यय की संज्ञा दी जाती है । आवश्यकता इस बात की है कि राजकीय कार्यालय आधुनिक व सूचना प्रोद्योगिकी पर आधारित सुविधाओं से सुसज्जित हों । नये राज्यों के संदर्भ में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा विशेष योजना के रूप में सहायता देने पर विचार किया जाना चाहिए । इसी संदर्भ में एक और सैद्धांतिक बिन्दु यह भी है कि ऐसी व्यवस्थाओं के लिए केन्द्रीय सरकार के सहयोग (Support) से संस्थागत वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाए और उसकी वापसी को योजना पर उपयुक्त प्रभार (Valid charge) मानने की व्यवस्था की जाए । ऐसा किये जाने से त्वरित गति से संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे और कार्य आगे बढ़ सकेगा ।

उत्तरांचल का परिवेश

जैसा आप अवगत ही हैं उत्तरांचल एक सीमावर्ती राज्य है । उसका अधिकांश भू-भाग पर्वतीय है और भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में अनेक विषमतायें एवं विशिष्टतायें विद्यमान हैं । इन विषमताओं, राज्य का एक बड़ा भू-भाग वनों के अधीन होने तथा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता से उत्पन्न बाध्यताओं तथा दूर-दूर पर फैली हुई छोटी-छोटी आबादियों आदि, के कारण एक ओर राज्य में प्राकृतिक धरोहर का भंडार होते हुए भी हमारी आर्थिक संसाधन जुटा पाने की क्षमता अत्यंत सीमित हो जाती है; तथा,

दूसरी ओर, जीवन स्तर सुधार के लक्ष्यों के संदर्भ में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन पर होने वाला व्यय तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक हो जाता है । इसका सीधा प्रभाव सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के उपभोग के लिए उपभोग प्रभार (User charges) के भुगतान की क्षमता पर भी पड़ता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि हमारे राज्य की समग्र प्रति व्यक्ति आय तथा साक्षरता दर तुलनात्मक रूप में पूर्ववर्ती राज्य से अधिक है किन्तु इसका वितरण (Distribution) असमान है । सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है तथा उन्हीं क्षेत्रों में सेवायें उपलब्ध कराने में लागत अत्याधिक आती हैं । इसी प्रकार निमार्ण कार्यों में भी लागत बहुत अधिक आती है, जबकि ऐसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अवस्थापना सुविधाओं की कमी है ।

इसके अतिरिक्त विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, और अकसर तेज नदियों के बहाव एवं कटाव के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भी, दैवी आपदाओं का गम्भीर प्रकोप रहता है । गत दशक में दो बार विनाशकारी भूकम्प आ चुके हैं, अनेकों विनाशकारी भू-स्खलन की घटनाएं, यथा मालपा व ऊखीमठ, आदि, घटित हो चुकी हैं । हर वर्ष पहाड़ एवं चट्टान खिसकने, बादल फटने व एकायक बाढ़ (Flash floods) तथा जंगलों में आग आदि के कारण सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति तथा जान माल की बृहद् स्तर पर क्षति होती है । प्राकृतिक-आपदाओं के संदर्भ में, यदा-कदा राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य शीर्षक (Headlines) प्राप्त करने वाली घटनाओं के लिए तो सहायता की उम्मीद की जा सकती है, किन्तु रोज घटित होने वाली आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । इसका संबंध मात्र राहत पर आने वाले व्यय से ही नहीं है बल्कि इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव पूंजीगत आस्तियों के सृजन एवं उनके रख-रखाव पर होने वाले भारी व्यय की आवश्यकताओं के रूप में भी पड़ता है । वर्ष दर वर्ष रख-रखाव की मांग बढ़ रही है एवं वास्तविक मांग तथा धन की उपलब्धता का अंतर (Gap) भी बढ़ता जा रहा है । साथ ही ऐसी स्थिति में अस्तियों की गुणवत्ता में लगातार ह्रास होता है ।

एक सामान्य धारणा हो सकती है कि हमारे प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर, तथा धामों एवं धार्मिक स्थलों के बाहुल्य वाले, राज्य में पर्यटन एवं तीर्थाटन के माध्यम से बड़े स्तर पर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, तथा वित्तीय संसाधन जुटाये जा सकते हैं । निश्चित ही पर्यटन को हम अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के एक अति महत्वपूर्ण अवयव के रूप में देखते हुए अपनी नीति एवं योजनाएं बना रहे हैं, जैसा दृष्टिकोण पत्र में भी अपेक्षा की गयी है । तथापि इस महत्वपूर्ण बिन्दु का भी संज्ञान लिया जाना आवश्यक है कि, विशेषकर तीर्थाटन के क्रम में, राज्य में एक बड़ी जनसंख्या प्लवमान जनसंख्या (floating population) के रूप में आती है जिसका सीधा प्रभाव राज्य के अंतर्गत नागरीय एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के सृजन एवं रख-रखाव के संदर्भ में उत्पन्न होता है । हमारे छोटे एवं बड़े नगर निकायों के लिए इस हेतु संसाधन जुटा पाना संभव नहीं हो पाता है, और राज्य सरकार के बजट पर भी इससे भारी दबाव उत्पन्न होता है ।

इस राज्य में जल विद्युत ऊर्जा की अपार संभावनायें हैं किन्तु जल विद्युत योजनाओं के लिये अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तथा इनका "जैस्टेशन पीरियड" भी अधिक होता है । निश्चित रूप से यदि इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा व्यवसायिक (Commercial) रूप में निवेश किया जाये तब राज्य के वित्तीय संसाधनों में बढ़ोत्तरी की अपेक्षा की जा सकती है । किन्तु इसमें समय लगेगा और ऊर्जा उत्पादन

परियोजनाओं के अतिरिक्त नयी पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिये भी भारी निवेश की आवश्यकता होगी ।

उत्तरांचल का जन्म ऋणात्मक नगद अवशेष से प्रारंभ हुआ तथा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य से जनसंख्या के आधार पर प्रभाजित अनंतिम रूप से अब तक लगभग रू0 2600.00 करोड़ की ऋणदेयता हमारे हिस्से में आयी है । इसके और बढ़ने की संभावना है । अतः हमारी प्राप्तियों का एक बड़ा अंश ऋण एवं ब्याज की अदायगी में ही व्यय हो रहा है । राज्य के करेत्तर राजस्व के प्रमुख श्रोत वन तथा खनिज उत्पाद हैं, परन्तु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अधिनियमों व नियमों में निर्धारित प्रतिबंधों के कारण करेत्तर राजस्व से प्राप्तियां सीमित हो जाती हैं । उत्तरांचल में बड़े उद्योगों का भी अभाव है तथा भौगोलिक स्थिति एवं पर्यावरण संबंधी नियमों एवं बाध्यताओं के कारण विकल्प भी सीमित हैं । लघु उद्योगों में भी सीमित घरेलू बाजार, पड़ोसी राज्यों से कठिन स्पर्धा की स्थिति एवं तत्संबंधी कराधान (Taxation) के निहित मुद्दों; सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, यथा- सड़क, परिवहन, बिजली आदि के अभाव; कच्चे माल की अनुपलब्धता; तथा, अधिक उत्पादन लागत आदि के कारण सीमित क्षेत्र में ही औद्योगिक इकाइयों की सम्भावना है, और सामान्यतया कम उद्यमी निवेश हेतु आकर्षित हो सकेंगे । कहने का आशय यह है कि राज्य के करों के रूप में वित्तीय संसाधन जुटाने की क्षमता भी सीमित है ।

राज्य के बजट अनुमान तैयार करते समय हमने पूरा प्रयास किया है कि आयोजनेत्तर व्यय पर यथासम्भव नियंत्रण रखा जा सके । इस उद्देश्य से विभिन्न विभागों के संगठनात्मक ढ़ाचों को न्यूनतम आवश्यकताओं तक सीमित रखते हुए युक्तियुक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि खर्चे सीमित रखते हुए दक्ष प्रशासन (Efficient governance) उपलब्ध कराया जा सके । दूसरी ओर, कर राजस्व की प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि के लक्ष्य रखे गये हैं तथा प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने प्रारम्भ हो गये हैं । तथापि वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक अनुमानों, जिनकी पुष्टि प्रथम पाँच माह के अनुभव से होती है, के आधार पर राज्य का राजस्व घाटा लगभग रू0 1224.00 करोड़ होगा । 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के समय राज्य का सृजन नहीं हुआ था । अतः हम राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक सहायता, जो अन्यथा हमें अवश्य ही उपलब्ध होती, से भी वंचित रह गये । यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये कमी मात्र आज की तारीख में विद्यमान राजस्व घाटे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूर्व में उल्लिखित अधिक निर्माण लागत, आस्तियों के आरक्षण एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वांछित अतिरिक्त आवश्यकताओं, विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की कमी तथा नये राज्य के लिए न्यूनतम शुद्ध अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी देखा जाना अनिवार्य होगा । इस प्रकार के कुछ बिन्दु 11वें वित्त आयोग के लिए उत्तरांचल क्षेत्र के संबंध में दिए गए अलग अनुपूरक ज्ञापन (Supplementary Memorandum) में भी इंगित किए गए थे, जिसका संज्ञान अलग राज्य अस्तित्व में न होने के कारण नहीं लिया जा सका । अतः स्पष्ट है कि यदि अन्य राज्यों की भांति उत्तरांचल को राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तथा पूर्ववर्णित अवस्थापना कमियों (Infrastructure gaps) के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध नहीं होती है, तो दृष्टिकोण पत्र में उल्लिखित आयोजनागत एवं विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हमारे द्वारा किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि दृष्टिकोण पत्र में इंगित प्राथमिकताओं एवं दिशा के क्रम में हम राज्य एवं राष्ट्र की लक्षित समृद्धि के लिए कृत-संकल्प हैं । मेरे द्वारा पूर्व में वर्णित विभिन्न गंभीर कठिनाइयों के बावजूद, राज्य के गठन के बाद की अल्प अवधि में हमने राज्य को विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । अल्प अवधि में शासन/प्रशासन (Governance) का ढांचा हम लगभग पूर्णतया स्थापित कर चुके हैं, हालांकि कतिपय क्रांतिक (Critical) क्षेत्रों में मानव संसाधनों की गम्भीर कमी, राज्य विभाजन की प्रक्रिया के संदर्भ में, बनी हुई है । हमारा ये उद्देश्य है कि राष्ट्र में हम उत्तरांचल को गवर्नेन्स (Governance) के एक आदर्श (Model) के रूप में विकसित कर सकें । उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों एवं प्राकृतिक संसाधनों, जोतों एवं भू-स्वामित्व का स्परूप (Pattern), जनसंख्या के संवितरण (Dispersal) तथा पर्यावरण की सुरक्षा की अहम् आवश्यकता को देखते हुए हमारे आर्थिक विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र - पर्यटन, जल-विद्युत ऊर्जा, जैव-प्रौद्योगिकी (Bio-technology) पर आधारित कृषि विविधिकरण एवं व्यवसायीकरण, बृहत् स्तर पर हस्तशिल्प-हस्तकरघा एवं अन्य छोटी औद्योगिक इकाइयों के विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित होंगे । हम प्राथमिकताओं का चिन्हीकरण करते हुए पर्यटन, उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों के लिए विस्तृत नीतियां निर्गत कर चुके हैं, और अब उनके क्रियान्वयन की दिशा में कार्यरत हैं । इसी प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से नीति एवं कूट रचना दृष्टि (Strategic vision) तैयार किए जा रहे हैं । इस बीच हम अपने विद्युत एवं जल विद्युत निगम स्थापित कर क्रियाशील कर चुके हैं । सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए राष्ट्रीय संस्था “नैस्काम” (NASSCOM) तथा “कन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज” (CII) जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से हम अपने सूचना प्रौद्योगिकी दृष्टि (IT vision) तैयार करा रहे हैं और कई क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है । अवस्थापना विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में परियोजनाओं के चिन्हीकरण एवं अधिक से अधिक संस्थागत एवं निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हमने अवस्थापना विकास निगम (IDFC) के साथ संयुक्त क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया है । सामाजिक अवस्थापना, अर्थात् शिक्षा, पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए हमने अपने सामने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हुए कार्यवाही प्रारंभ कर दी है । ये बातें मैं केवल दृष्टांत (Illustrative) रूप से यह इंगित करने के लिए कह रहा हूँ कि हम राष्ट्रीय स्तर पर रखे गये लक्ष्यों एवं दिशाओं की पूर्ति तथा उत्तरांचल राज्य की जनता की जन-आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में कृतसंकल्प एवं प्रयासरत् हैं, और राज्य के भावी विकास के लिए एक ठोस नींव डालना चाहते हैं । इस कार्य में, हमें आपके भरपूर सहयोग की आवश्यकता होगी ।

मैं, राज्य की जनता की ओर से पुनः एक बार मा0 प्रधानमंत्री जी, मा0 उपाध्यक्ष, योजना आयोग, सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण एवं परिषद के सदस्यों एवं सहयोगियों का आभार प्रकट करते हुए, राज्य की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में, आपके सकारात्मक सहयोग की विनम्रतापूर्वक अपेक्षा करता हूँ ।